झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

अधिसूचना

सं0 सं0–04/आ01–21/2018............/ राँची, दिनांक–................................./

श्री दुर्योधन महतो (राज्य शिक्षा सेवा वर्ग–2), तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी, चतरा सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा पारित न्यायादेश एवं उक्त संदर्भ में उच्चाधिकारियों के द्वारा दिये गये निदेश के अनुपालन में शिथिलता एवं लापरवाही बरतने के प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प–सह–ज्ञापांक–932 दिनांक–27.09.2018 द्वारा झारखंड पेंशन नियमावली–2000 के नियम–43 (ख) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. उपर्युक्त संचालित विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध प्रपत्र–'क' में गठित दो आरोपों में कोई भी आरोप अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। उक्त मामले में प्रतिवेदित जाँच प्रतिवेदन के सम्यक समीक्षोपरांत पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी के द्वारा मामले के निष्पादन हेतु सक्षम स्तर पर दिनांक–19.01.2018, 13.02.2018 एवं 28.02.2018 को संचिका उपस्थापित की गई। परंतु उक्त मामले में निर्णय नहीं हो सका। अतः इस मामले में न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं होने के लिए आरोपित पदाधिकारी दोषी नहीं है।

3. उपर्युक्त के आलोक में श्री महतो को आरोप से मुक्त करने का निर्णय लिया जाता है।

4. उपर्युक्त निर्णय के साथ ही श्री महतो के विरूद्ध संचालित उपर्युक्त विभागीय कार्यवाही निष्पादित की जाती है।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(आदित्य कुमार आनन्द)
सरकार के संयुक्त सचिव।

US (Smt. Sangita) To upload in Dept site. 3/1/2018

ज्ञापांक–...38.........../ राँची, दिनांक–.....07-01-20...................../

प्रतिलिपिः– विभागीय नोडल पदाधिकारी ई0 गजट को सरकारी गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ/ विभागीय नोडल पदाधिकारी, को विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

Aanand 6/1/2020
सरकार के संयुक्त सचिव।

विशेष सचिव कोषांग
गै० प्रे० सं० ....14....
दिनांक ....8.1.20....

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय
झारखण्ड, राँची
आवक सं० ....46....
दिनांक 08.01.2020